दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

विषयः डीडीए भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ा/अतिक्रमण

जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग/कंपनियां डीडीए भूमि पर गैर–कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं, उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं, या किसी और तरह से उसका गैर–कानूनी उपयोग कर रहे हैं।

और जबकि ऐसी सारी भूमि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत सरकारी भूमि है और उस पर कोई भी अनधिकृत कब्ज़ा, निर्माण, या उपयोग करना कानून का उल्लंघन है;

अब, इसलिए, आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता हैः

1. भूमि की स्थिति

डीडीए भूमि या उसके मालिकाना हक वाली सारी भूमि सरकारी भूमि है। कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की पहले से लिखित अनुमति के बिना ऐसी किसी भी भूमि पर कब्ज़ा नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा, कोई ढांचा या भवन नहीं बनाएगा, सामान स्टोर नहीं करेगा, मलबा नहीं डालेगा, बिना अनुमति पार्किंग नहीं चलाएगा, या किसी और तरह से गैर–कानूनी इस्तेमाल नहीं करेगा।

2. उल्लंघन के परिणाम

डीडीए भूमि पर कोई भी अनधिकृत कब्ज़ा, अतिक्रमण या गैर–कानूनी उपयोग होने पर, डीडीए किसी पूर्व सूचना के बिना, अतिक्रमण करने वाले के जोखिम, खर्च और परिणाम पर, उसे तुरंत हटा देगा। अतिक्रमण/अनधिकृत कब्ज़े को गिराने/हटाने की प्रक्रिया में डीडीए का जो खर्च हुआ है, उसे भी भूमि के राजस्व के बकाए के तौर पर वसूला जाएगा। यह सार्वजनिक सूचना डीडीए भूमि पर कब्ज़ा करने वाले सभी अतिक्रमणकर्ताओं/अनधिकृत कब्जाधारियों के लिए एक स्टैंडिंग नोटिस है।

3. आम लोगों के लिए निर्देश

आम लोगों को यह निर्देश और सलाह दी जाती है किः

क. बिना कानूनी अधिकार के डीडीए की किसी भी भूमि पर अतिक्रमण या कब्ज़ा करने से बचें;

ख. डीडीए की भूमि पर मौजूद किसी भी संपत्ति को उसकी कानूनी स्थिति, हक और मालिकाना हक की जांच किए बिना खरीदने, बेचने, ट्रांसफर करने, विज्ञापन देने या किसी और तरह से डील करने से बचें;

ग. अगर कोई अनधिकृत कब्ज़ा या अतिक्रमण है, तो उसे तुरंत डीडीए की भूमि से हटा दें।

4. प्रवर्तन कार्रवाई

प्राधिकरण डीडीए की भूमि पर अनधिकृत कब्ज़े या अतिक्रमण के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें यह भी शामिल हैंः

क. अनधिकृत ढांचे को गिराना/अतिक्रमण हटाना;

ख. क्षति/मध्यवर्ती लाभ की वसूली; और

ग. जहां भी ज़रूरी हो, विधि के लागू नियमों के तहत मुकदमा चलाना और/या एफआईआर दर्ज करना।

5. रिपोर्टिंग तंत्र

आम लोगों से अनुरोध है कि वे डीडीए भूमि पर अनधिकृत कब्ज़े या अतिक्रमण के मामलों की रिपोर्ट डीडीए के संबंधित कार्यालय में या डीडीए–311 मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, या डीडीए के निर्दिष्ट परिवेदना/शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से करें।

यह सूचना आम जानकारी और सख्त अनुपालन के लिए जनहित में जारी की जाती है।

हस्ता./–
(डॉ. मन्नान अख्तर)
आयुक्त (भूमि प्रबंधन)

दिनांकः 09.07.2026

हमें यहाँ फॉलो करें : ddaofficial official_dda official_dda_

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देंखे या डायल करें टोल फ्री नं.: 1800110332